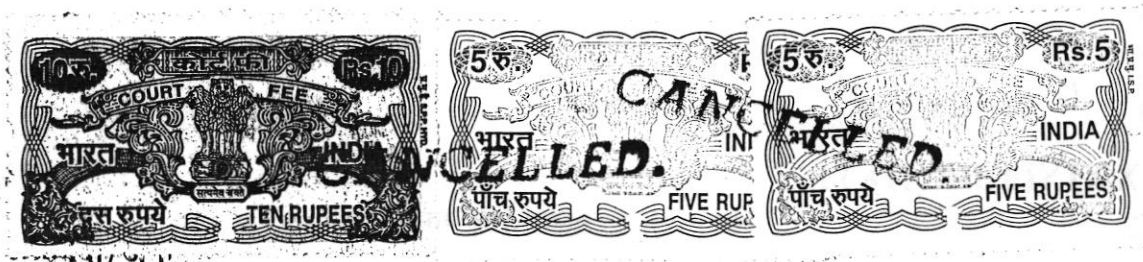

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी/पन्ना/भू.रा/2018/0679

झुर्रा उम्र 53 साल वल्द श्री मुन्नीलाल काछी निवासी ग्राम विरसिहपुर तहसील पवई जिला पन्ना म.प्र. ..... पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1– नोनेलाल उम्र 52 साल वल्द श्री मुन्नीलाल काछी निवासी ग्राम विरसिहपुर तहसील पवई जिला पन्ना म.प्र.

2– म.प्र. शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टेर महोदय ...... अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता विनम्र प्रार्थी है –:

1– यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने प्रकरण कमांक 483अ/74वर्ष 2016–17 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर म.प्र. (झुर्रा काछी विरूद्ध नोनेलाल एवं एक अन्य) में धारा 5 म्याद अधिनियम में ही अपील को दिनांक 21–11–2017 को अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर उक्त पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है –:

प्रकरण के तथ्य

2– **यह कि** पुनरीक्षणकर्ता ने न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय पन्ना के प्रकरण कमांक 70/अ–74/नक्शा सुधार / 0809 आर.डी.002–86 वर्ष 2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 जिसकी जानकारी पुनरीक्षणकर्ता के लिए 03–02–2017 में प्राप्त हुयी , दिनांक 03–02–2017 को ही नकल आवेदन लगा दिया गया । सत्यप्रतिलिपी दिनांक 16–02–2017 को प्राप्त हुयी थी के विरूद्ध अपील मय आवेदन पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम एवं शपथ पत्र के श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर के न्यायालय में निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत की थी ।

3– **यह कि** पुनरीक्षणकर्ता एवं अनावेदक कमांक एक आपस मे सगे भाई है। उनके मध्य पैत्रिक संम्पत्ति का बटवारा आज से लगभग बीस वर्षो पूर्व हो चुका था और तब

(52)

झुर्रा विरूद्ध नेलाल आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2018/679 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–1–18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी0 डी0 सोनी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने आवेदक की अपील को अवधि बाह्य होने से निरस्त किया गया है । उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है जबकि दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है । अपर आयुक्त द्वारा ए0आई0आर0 1995 एम0पी0 160 का हवाला देते हुए अपील को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त किया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हुए विलंब के संबंध में कोई समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	